तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करतारसिंह V/S निर्मलसिंह वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19/3/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 21/4/25 को पेश हो।	
21/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित तहसीलदार उच्चैन से विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21/5/25 को पेश हो। Bharti	
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित तहसीलदार उच्चैन से विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/5/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित अभिभाषक वादी की बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश 30/5/25 को पेश हो। साथ ही अभि० वादी ने पृथक प्रा० पत्र धारा 151 cpc ~~पर~~ पेश किया जो शा० मिसल है। अभि० वादी द्वारा उक्त प्रकरण को पूर्व में पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि प्रतिवादीगण को पूर्व में exparty की जा चुकी है। प्रा० पत्र धारा 151 cpc स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/5/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
30/05/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– 24 / 2024(पुराना 31 / 2011)

1. जगतारसिंह
2. उपेन्द्र सिंह
3. अर्जुनसिंह(मृतक) पुत्रान जंगबहादुरसिंह
   3 / 1. वीरेन्द्र कौर पत्नि अर्जुनसिंह
   3 / 2. अभिमन्यु
   3 / 3. अभिजोतसिंह पुत्रान अर्जुनसिंह समस्त जातियान जाटसिख निवासी उच्चैन।

.........वादीगण

बनाम

1. निर्भयसिंह
2. तेजसिंह पुत्रान कमलसिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।

.... असल प्रतिवादीगण

3. हरिकिशन पुत्र मूलीराम जाति ब्राह्मण निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन।
4. बलवीरसिंह पुत्र भागसिंह जाति जाट निवासी उच्चैन।
5. निरंजनलाल पुत्र शिवचरन जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी उच्चैन(मृतक)
   5 / 1. शान्तिदेवी पत्नि निरंजनलाल
   5 / 2. महेन्द्रसिंह
   5 / 3. समन्दर
   5 / 4. चन्द्रशेखर पुत्रान निरंजनलाल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी उच्चैन।
6. बृजेन्द्रसिंह पुत्र शिवचरन जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी उच्चैन
7. हण्डू पुत्र गोरखी जाति कुम्हार निवासी उच्चैन(मृतक)
   7 / 1. प्रेमवती पत्नि हण्डूराम
   7 / 2. मंगतीराम
   7 / 3. तेजसिंह
   7 / 4. मानसिंह पुत्रान हण्डूराम
   7 / 5. मन्जू पुत्री हण्डूराम जाति कुम्हार निवासी उच्चैन।
8. हप्पू पुत्र गोरखी जाति कुम्हार निवासी उच्चैन।(मृतक)
   8 / 1. चन्दन बेवा हप्पू
   8 / 2. कृष्ण कुमार
   8 / 3. किशोरी
   8 / 4. जितेन्द्र
   8 / 5. धर्मेन्द्र

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

8/6. बबलू

8/7. पष्पेन्द्र पुत्रान हप्पू

8/8. बवीता पुत्री हप्पू समस्त जातियान कुम्हार निवासी उच्चैन तह0 उच्चैन।

9. शाखा प्रबंधमक महोदय पी.एन.बी. बैंक शाखा उच्चैन

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार उच्चैन।

..................तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 व 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः—30.05.2025

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 व 53 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या 387 पुरानी 365 आराजी खसरा नम्बर 1148 रकवा 2 बीघा 06 विस्वा बाके ग्राम तुहियापट्टी उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं तरतीवी प्रतिवादी 3 लगा0 8 सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण संख्या 1 लगा0 3 वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के तथा वादीगण की माता सुदर्शन कौर वेवा जंगबहादुर की मृत्यू दिनांक 10.04.2009 को हो चुकी है तथा उनकी मृत्यू के बाद उनके हिस्से की आराजी के वारिसान वादीगण है तथा अभी तक वादीगण संख्या 1 लगा0 3 के नाम दाखिल खारिज नहीं हो सकी है इसलिए डिक्लेरेशन कराना आवश्यक है इसके अलावा उक्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगा0 8, 1/3 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 3, 6/7 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 4, 1/7 हिस्से कानूनन खातेदार काश्तकार है तथा उसी प्रकार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के मुताबिक मनवट के आधार पर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन दिनांक 14.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर आ गये तथा विवादित आराजी से वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने का प्रयास करने लगे एवं वादीगण के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने लगे। वादीगण के विरोध के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त विवादित भूखण्ड से वादीगण को बेदखल नहीं कर सके लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण को धमकी दे गये की वादीगण को वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करके रहेगें एवं कब्जा कर नींब खोदकर व निर्माण कर अपनी आराजी में मिला लेंगें। उक्त दी गई धमकी के कारण वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी में वादीगण की माता सुदर्शन कौर के स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर रिकार्ड अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जाकर वादीगण एवं उनके हिस्से के मुताबिक अलग अलग कुरे कायम किये जावे। प्रतिवादीगण को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 09.11.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगा0 8 के विरूद्ध दिनांक 03.05.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 19.09.2017 को वादपत्र वादीगण प्राथमिक डिकी किया गया। दिनांक 03.07.2024 को तहसीलदार उच्चैन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसके बावत् अभिभाषक वादी ने एतराज पेश किया। अभिभाषक वादी का एतराज स्वीकार किया जाकर पुनः विभाजन प्रास्ताव हेतु तहसीलदार उच्चैन को लिखा गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा विवादित आराजी पर पक्के मकानात बने होने के कारण विभाजन प्रस्ताव पेश करने में असमर्थता व्यक्त की है। अभिभाषक वादी ने ही पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को पूर्व में पेश विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी के द्वारा प्रकरण को तहसीलदार उच्चैन के द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पेश विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिकी किये जाने का निवेदन किया है एवं प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण एवं प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताब एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 19.09.2017 का अवलोकन किया गया। वादीगण का वादपत्र अंतिम रूप से ड़िकी किये जाने योग्य है।

—:अतः आदेश हैः—

वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण असल मुताबिक कुरे रिपोर्ट डिकी किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुरे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक—पृथक खाते संधारित करेंगे, भू—राजस्व निर्धारित करेंगे, कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिकी का जुज रहेगा। प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थायी निषेधज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1427/0.37 बाके ग्राम तुहियापटटी तहसील उच्चैन में वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा ना करें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन
व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

जगतार सिंह बनाम निर्भय सिंह वगै०

दावा बाबत् धारा 88, 89, 188 व 53 RTA

मुकदमा नं. 24/2024 (पुराना 31/2011) सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री जयप्रकाश शर्मा एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी विरुद्ध प्रति० असल मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। तह० उच्चैन मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के पृथक-पृथक खाते संधारित करेंगे, भू-राजस्व निर्धारित करेंगे, कुर्रे रिपोर्ट एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। प्रति० असल को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख० नं० 1427/0.37 बीघा ग्राम कुम्हियापुरी तह० उच्चैन के वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा ना करे।

आज मुबलिग बाबत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक का अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष

को जारी की गई।

दस्तखत Bharti

ओहदा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 24/2024(पुराना 31/2011)

1. जगतारसिंह
2. उपेन्द्र सिंह
3. अर्जुनसिंह(मृतक) पुत्रान जंगबहादुरसिंह
   3/1. वीरेन्द्र कौर पत्नि अर्जुनसिंह
   3/2. अभिमन्यु
   3/3. अभिजोतसिंह पुत्रान अर्जुनसिंह समस्त जातियान जाटसिख निवासी उच्चैन।

.........वादीगण

बनाम

4. निर्भयसिंह
5. तेजसिंह पुत्रान कमलसिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।

.... असल प्रतिवादीगण

6. हरिकिशन पुत्र मूलीराम जाति ब्राह्मण निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन।
7. बलवीरसिंह पुत्र भागसिंह जाति जाट निवासी उच्चैन।
8. निरंजनलाल पुत्र शिवचरन जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी उच्चैन(मृतक)
   5/1. शान्तिदेवी पत्नि निरंजनलाल
   5/2. महेन्द्रसिंह
   5/3. समन्दर
   5/4. चन्द्रशेखर पुत्रान निरंजनलाल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी उच्चैन।
9. बृजेन्द्रसिंह पुत्र शिवचरन जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी उच्चैन
10. हण्डू पुत्र गोरखी जाति कुम्हार निवासी उच्चैन(मृतक)
   7/1. प्रेमवती पत्नि हण्डूराम
   7/2. मंगतीराम
   7/3. तेजसिंह
   7/4. मानसिंह पुत्रान हण्डूराम
   7/5. मन्जू पुत्री हण्डूराम जाति कुम्हार निवासी उच्चैन।
11. हप्पू पुत्र गोरखी जाति कुम्हार निवासी उच्चैन।(मृतक)
   8/1. चन्दन बेवा हप्पू
   8/2. कृष्ण कुमार
   8/3. किशोरी
   8/4. जितेन्द्र
   8/5. धर्मेन्द्र

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

8/6. बबलू

8/7. पप्पेन्द्र पुत्रान हप्पू

8/8. बबीता पुत्री हप्पू, समस्त जातियान कुम्हार निवासी उच्चैन तह0 उच्चैन।

12. शाखा प्रबंधक महोदय पी.एन.बी. बैंक शाखा उच्चैन

13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार उच्चैन।

.....................तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 व 53 आर.टी.ए.

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)